

नम्बर  
अहका  
हुक्म व  
में ज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

NO - 33/2019

उपनाम

1. रश्मा पत्नि राजेश कुमार अग्रवाल उम्र वयस्क निवासी 703 सनसेट 2, राहेजा विहार पवाई मुम्बई महाराष्ट्र
2. राजेश कुमार पिता सत्यनारायण अग्रवाल उम्र वयस्क निवासी 703 सनसेट 2, राहेजा विहार पवाई मुम्बई महाराष्ट्र
3. राजेन्द्र पिता रामपाल वैष्णव उम्र वयस्क निवासी पुराना पोस्ट ऑफिस के पास, गंगापुर जिला भीलवाड़ा
4. सत्यनारायण पिता कनकमल अग्रवाल निवासी कोठारी मोहल्ला, गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. बद्रीविशाल पिता दुर्गालाल माहेश्वरी उम्र वयस्क निवासी रघुकुल 17, प्रतापनगर दादाबाडी, कोटा राज.- डिलीट
2. अभिषेक अजमेरा पिता महावीर कुमार अजमेरा उम्र वयस्क निवासी टेक्सटाईल मार्केट डी ब्लॉक के पास, गांधीनगर भीलवाड़ा राज.
3. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री मुरारी जोशी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक - 10.04.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 18.01.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल बबरणा भू.अ.नं. 0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 153 के आ.नं. 713/67 रकबा 04-05 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.01.2019 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 10.04.2019 को विपक्षी क्रम 01 को छोड़कर शेष समस्त विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी क्रम 01 का सम्मन, अदम तामील लौटकर प्राप्त, इस पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी क्रम 01 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 01 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल बबरणा भू.अ.नं. 0 महुआखुर्द तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 153 के आ.नं. 713/67 रकबा 04-05 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 500/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा